

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

दस्तावेज संख्या 52 तारीख दायर 11/08/2020 दिनांक निर्णय 02/09/2020

उनवान

पटवारी हल्का फिरोजपुर बनाम रत्न, शिवराम, रामपति

आज पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उम्./अनु. जवाब पेश किम्/नहीं करना चाहता है।

बुद्ध नैरस्तायल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207-2077 का नया कब्जा होना साबित होता है।

लिस्ती काबिल बेदखली है।

आदेश है कि-

नैरस्तायल रत्न, शिवराम, रामपति पुत्र/ पत्नी रामजीवन

पत्नी मीना निवासी बावड़ी

को आराजी खसरा नं. 4 रकबा 0.32 किस्म चारागाह वाके ग्राम.

बावड़ी से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 1.92 की

50 गुणा में मु 36/ रुपये कायमी कराई जावें

TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा जावें।

फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानुनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2020-21  
के पृष्ठ संख्या 68 पर चार्ज 96/-  
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार  
राजगढ़ (अलवर)